रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243968
CG-DL-E-01032023-243968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] **नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944**
No. 116] **NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2023

सा.का.नि.140(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 790(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, तीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पहले, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त अधिसूना की प्रतियां, 25 अक्तूबर, 2022 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेप या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (पहला संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 में, नियम 9 के उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4ख) कोई व्यक्ति, जो विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, उसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए या निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखने वाले व्यक्ति को नियोजित किया जाएगा, अर्थात्:--

(i) तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों को बनाने के लिए रसायन विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान या कृषि रसायन में डॉक्टरेट या केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर आफ टेक्नोलॉजी या मास्टर आफ साइंस या समकक्ष हो ;

(ii) कीटनाशक विनर्मिति के विनिर्माण के लिए कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री या एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री हो :

परंतु कीटनाशी (पहला संशोधन) नियम, 2023 के आरंभ की तारीख को विनिर्माण लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को विहित शैक्षिक अर्हता का अनुपालन करने के लिए चार वर्ष की अवधि या उक्त अर्हता रखने वाले व्यक्ति को नियोजित करने के लिए एक वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, अनुज्ञात की जाएगी ।"

[फा. सं. 13035/28/2014-पीपी-। (खंड-IV)]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. संख्यांक 846(अ), तारीख 25 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2023

G.S.R. 140(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 790(E), dated the 25th October, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 25th October 2022;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :-

1. (1) These rules may be called the Insecticides (First Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 9, for sub-rule (4B), the following shall be substituted namely:—

"(4B) A person who applies for manufacturing license shall possess or shall employ a person possessing the following educational qualifications, namely:-

(i) Doctorate in Chemistry or Agriculture Chemistry or Agriculture Chemicals or Master of Technology or Master of Science in Chemical Engineering or equivalent for manufacture of technical grade insecticides.

(ii) Graduate degree in Agriculture or Science with Chemistry as one of the subject for manufacture of insecticides formulations;

Provided that a person possessing a manufacturing license on the date of commencement of the Insecticides (First Amendment) Rules, 2023 shall be allowed a period of four years to comply with the prescribed educational qualifications or a period of one year to employ a person possessing the said qualification, whichever is earlier."

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (vol-IV)]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and was amended vide number G.S.R 846(E) dated 25th November, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.03.01 09:51:59 +05'30'